प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 08 /2025

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002

दिनांक: फरवरी 28, 2025

विषयः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 संख्याः ~~32935~~ 32395/2024, विजय कुशवाहा व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व 3 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश 16.01.2025 के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं (सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि) के प्रभावी तामीला हेतु इस मुख्यालय स्तर से समय-समय पर पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित डीजी परिपत्रों के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। क्रि0 मिस0 बेल अप्लीकेशन संख्या-24060/2024 महेश बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.10.2024 के अनुपालन में श्री अशोक मेहता, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के साथ गृह विभाग, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों की पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की उपस्थिति में दिनांक 20.10.2024 को हाइब्रिड मोड में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से गोष्ठी सम्पन्न हुई, जिसमें समस्त जोन, रेन्ज, कमिश्नरेट तथा जनपद के प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक के दौरान हुये विचार-विमर्श तथा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में कार्यवृत्त दिनांकित 20.10.2024 निर्गत करते हुये सर्वसम्बन्धित को अनुपालन हेतु प्रेषित किया गया है।

| |
|---|
| डीजी परिपत्र सं0-45/2024 दि.09.12.2024 |
| डीजी परिपत्र सं0-09/2024 दि.05.03.2024 |
| डीजी परिपत्र सं0-03/2024 दि. 19.01.2024 |
| शासनादेश संख्या-एचसी-100/छः-पु0-9-2023 दि.14.10.2023 |
| डीजी परिपत्र सं0-40/2023 दि.10.10.2023 |
| डीजी परिपत्र सं0-30/2023 दि.16.08.2023 |
| डीजी परिपत्र सं0-70/2015 दि.20.10.2015 |
| डीजी परिपत्र सं0-65/2015 दि.16.08.2015 |

2- श्री आशुतोष कुमार सण्ड, शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांकित 21.02.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 संख्याः 32395/2024, विजय कुशवाहा व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व 3 अन्य में दिनांक 16.01.2025 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान मा0 विचारण न्यायालयों द्वारा निर्गत किये जा रहे प्रासेस (सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि) का तामीला न कराये जाने को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये अधोहस्ताक्षरी को निम्नवत निर्देशित किया गया है—

> **Let a copy of this order be sent to the Director General of Police, Uttar Pradesh, who shall issue some guidelines regarding the aforesaid.**

3- मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं का तामीला पक्षकारों को न कराये जाने के सम्बन्ध में एक अन्य रिट याचिका प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 संख्या-30324/2024 अफाक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के प्रकरण में भी मा0 उच्च न्यायालय ने विजय कुशवाहा व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व 3 अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 का अनुपालन कराये जाने हेतु पुनः निर्देशित किया है।

4- मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं (सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि) के प्रभावी तामीला हेतु डीजी परिपत्र संख्या-40/2023 द्वारा उ0प्र0 प्रत्येक कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त व जनपद स्तर पर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुये सम्मन / वारण्ट / नोटिस आदि के प्रभावी तमीला हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं किन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

5- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि के प्रभावी तामीला किये जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत डीजी परिपत्रों एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. श्री ए.के. सण्ड, शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।